

16-7-21

हुकूम या कार्यवाही मध्ये इनिशियटिव जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकूम की तामील
में जारी हुए

9-7-21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित
वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही,
बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली
आदेश हेतु नियत दिनांक 16-7-21 को
पेश हो।

स्वीकार प्रोगेस
परकम प्रोगेस

16-7-21

उभय पक्ष उपस्थित पीटारीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 20-7-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-7-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
स्थायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 22-7-21 को पेश हो।

27-7-21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित
वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सकसैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 134/20 प्रा.पत्र

1- श्री राधेश्याम ज। श्री सुखा गाडरी निवासी-भातलोला तहसील-भीलवाडा [कॉपी]

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री पटना ज। श्री लक्ष्मी गोल निवासी-गाडरी खेडा (खारिपो-कावेडा) तहसील-भीलवाडा [कॉपी]
(सुहासिनी प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 27-07-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... गाडरी खेडा... पटवार हल्का... सीजा... तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 987/760... कुल कित. 01... रकबा 04 बीघा... बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.08.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... गाडरी खेडा... पटवार हल्का... सीजा... तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 987/760... कुल कित. 01... रकबा 04 बीघा... बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक... सीजा... को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा